छत्तीसगढ़ शासन

# तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

सत्र 2011–12 में राज्य के शासकीय पॉलीटेक्निकों में संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा **एम.ओ.एम., सी.डी.डी.एम., आई.डी.डी. एवं आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों** में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों (बिना पी.पी.टी.– NON P.P.T.) के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम एवं प्रवेश प्रक्रिया – 2011

*तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ बायरन बाजार रायपुर*
*दूरभाष – 0771 –2421376, 2426330*
**Website : www.cgdteraipur.ac.in**

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें । ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो ।
    1. निवास प्रमाणपत्र
    2. स्थायी जाति प्रमाणपत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
    3. जाति सत्यापन प्रमाणपत्र (आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर / अधिकृत कार्यालय से)
    4. दसवीं / बारहवीं की अंकसूची
    5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) होने का प्रमाणपत्र
    6. सैनिक (Sainik) होने का प्रमाणपत्र
    7. निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाणपत्र – (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं (2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी हो ।

       (उपरोक्त दोनो अधिकारियों से जारी विकलांग होने संबंधी प्रमाणपत्र– संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन प्रमाण पत्र आवश्यक है)
- इस वर्ष प्रवेश की कार्यवाही आनलाइन काउंसिलिंग द्वारा की जाएगी । काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट- http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011का अवलोकन करते रहें ।
- काउंसिलिंग सामान्यतया 15 जुलाई के पश्चात् जुलाई अगस्त के माह में होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है । कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, **इसके लिये कॉल लेटर / सूचना पत्र नहीं भेजा जायेगा**
- आनलाइन फार्म भरने से पूर्व इस पुस्तिका का अध्ययन ठीक से अवश्य कर लें । काउंसिलिंग से पूर्व ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया जो इस बुकलेट में दी गई है, का भी ठीक से अध्ययन कर लें । इससे आपको संस्था/ब्रांच के चयन में सहायता मिलेगी एवं कम्प्यूटर/इंटरनेट में कार्य करने में आसानी होगी ।

## संक्षेपाक्षरों का विस्तारित नाम

| | | |
|---|---|---|
| **सीडीडीएम** (CDDM) | – | कास्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग |
| **आई.डी.डी** (IDD) | – | इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन |
| **एम.ओ.एम.** (MOM) | – | मार्डन ऑफिस मेनेजमेंट |
| अ.भा.त.शि.प. (AICTE) | – | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद |
| DTE | - | तकनीकी शिक्षा संचालनालय |
| UR | - | अनारक्षित |
| SC | - | अनुसूचित जाति |
| ST | - | अनुसूचित जनजाति |
| OBC | - | अन्य पिछड़ावर्ग |
| स.प्रा. | - | सक्षम प्राधिकारी |
| S | - | सैनिक |
| FF | - | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी |
| F | - | महिला |
| H | - | निःशक्तता से बाधित या विकलांग |
| OP | - | महिला पुरूष दोनो के लिए |
| X | | बिना वर्ग |

***

## छत्तीसगढ़ शासन
## तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
## ::- मंत्रालय -::

### अधिसूचना

क्रमांक / एफ- / 2011

छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय पॉलीटेकनिकों में संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट, कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन तथा आर्किटेक्चर के प्रथम वर्ष में सत्र 2011-12 में प्रवेश हेतु नियम निम्नानुसार हैं :-

1.1 **संक्षिप्त नाम** : ये नियम शासकीय सहशिक्षा पालिटेक्निकों तथा शासकीय कन्या पालिटेक्निकों में संचालित एम.ओ.एम., सी.डी.डी.एम., आई.डी.डी. तथा आर्किटेक्चर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर बिना पी.पी.टी. के प्रवेश नियम 2011 कहलायेंगे ।

1.2 **विस्तार** : ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ के लिये तथा इनमें प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये लागू होगें ।

1.3 **परिभाषा** : इन नियमों में जहां तक गद्यांश में शब्दों का तात्पर्य अन्यथा न हो-

1. 'प्रवर्ग' का तात्पर्य है अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST-Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर) जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा ।
2. 'छत्तीसगढ़' का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।
3. ''अ.भा.त.शि.प.'' से तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली / क्षेत्रीय इकाई ।
4. ''संचालक'' से तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
5. ''वर्ग'' से तात्पर्य है सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, (FF), निःशक्तता से बाधित (H) वर्ग ।
6. ''बिना वर्ग (X)'' से तात्पर्य है जो अभ्यर्थी पूर्ववर्ती तीनों वर्गो में से किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा प्रमाणपत्र अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने में असफल रहे, उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत ''बिना वर्ग (X)'' के अभ्यर्थी हेतु सीटों के विरूद्ध ही प्रवेश की पात्रता होगी ।
7. ''सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)'' से तात्पर्य है जिसको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है ।

1.4 **उपलब्ध सीटें एवं ब्रांच :**

शासकीय कन्या पॉलीटेकनिकों की संपूर्ण सीटें केवल महिला उम्मीदवार के लिये ही आरक्षित है ।

शासकीय संस्थाओं की समस्त 100 प्रतिशत सीटें केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिये आरक्षित है ।

तालिका 1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ के डिप्लोमा पाठयक्रमों में सत्र 2011-12 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दर्शाई गई है ।

तालिका 2 में शासकीय संस्थाओं में आरक्षण की जानकारी दी गयी है ।

1.4.1 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा किसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृति दी जाती है या किसी संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तो बढ़ी हुई सीटों को रिक्त सीटों की संख्या में जोड़ा जायेगा ।

यदि किसी नयी संस्था के लिए काउंसिलिंग के दौरान ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है तो उसे काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकता है ।

**1.5 सीटों का आरक्षण :**

**1.5.1 उर्ध्वाधर (Vertical Reservation)**

**अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए–**

शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 15, 21 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है तथा ऐसी आरक्षित सीटों की संख्या तालिका 2 में दी गई है । शेष 50 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी । इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है । यदि किसी SC/ST अथवा OBC प्रवर्ग के छात्र/छात्रा को मेरिट के आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही समायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा ।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग (*क्रीमी लेयर* को छोड़ कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/ अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी ।

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को जाति सत्यापन प्रमाण पत्र पृथक से जमा करना आवश्यक है । जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर द्वारा किया जाना है । जाति सत्यापन काउंसिलिंग से पूर्व कराना आवश्यक है, ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो । जाति सत्यापन के लिए निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है –

1. स्थायी जाति प्रमाणपत्र  2. मिसल रिकार्ड  3. वंशावली की जानकारी आदि

विस्तृत जानकारी के लिये कार्यालय आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के दूरभाष–0771–2262606,2262633 पर संपर्क किया जा सकता है ।

टिप्पणी –

(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है ।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

(स) उम्मीदवार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा ।

**1.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)**

'सैनिक वर्ग' 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' *निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों के लिये*

शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः 'सैनिक' (S) 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' (FF), *निःशक्तता से बाधित वर्ग (H)* के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 व 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं । ऐसी आरक्षित सीटों का ब्यौरा तालिका 2 में दिया गया है ।

**1.5.2.(1) सैनिक वर्ग (S)**

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी है जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप 3 (अ) में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा *ऑफिसर कमांडिंग* द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है । इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को प्रारूप 6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाणपत्र जमा करना होगा ।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये हैं उन्हें नियम पुस्तिका के प्रारूप 3(ब) में प्रमाण पत्र जमा करना होगा ।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप 3(स) एवं 6 दोनो प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे ।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 3–स में प्रस्तुत करना होगा।

किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

टीपः 1. होमगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे ।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कार्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनके संतानों को भी इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान रहेगा ।

### 1.5.2.(2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 1.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी /सूची में दर्ज है ।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्ट्रेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है, परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप 4 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस वर्ग का होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण पत्र होगा ।

### 1.5.2.(3) निःशक्तता से बाधित वर्ग (H)

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जो नियम 1.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों उनके लिये शासकीय संस्थाओं की उपलब्ध सीटों में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा । यदि किसी पाठ्यक्रम में इस क्षैतिज आरक्षण के विरूद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा ।

**टिप्पणी**ः इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा मंडल द्वारा निःशक्तजन का प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना

गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे । दोनो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं । इसलिए पहले से दोनो प्रमाणपत्र अभ्यर्थी बनवा लें । काउंसिलिंग के समय यदि प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो किसी भी स्थिति में आबंटन/प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि किसी विकलांग अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर UR की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुर्नवास केन्द्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है । ताकि यह पता चल सके अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है ।

1.5.2.(4) **बिना वर्ग**

जो अभ्यर्थी ठीक पूर्ववर्ती तीनों वर्गो में से किसी भी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा अपेक्षित प्रमाण–पत्र अपेक्षित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहे उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग' (X) के अभ्यर्थी हेतु सीटों के विरुद्ध ही प्रवेश की पात्रता होगी ।

1.5.2.(5) **महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण**

शासकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक संस्थाओ की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा । राज्य के कन्या पॉलीटेकनिकों की सभी सीटें कन्याओं हेतु आरक्षित हैं । संस्थावार आरक्षित सीटों की संख्या संलग्न तालिका 2 में दर्शाई गई हैं । **प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों** के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा ।

1.5.2.(6)किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

1.5.2(7) काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा ।

1. उर्ध्वाधर आरक्षण :– सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी ।
2. क्षैतिज आरक्षण :– इस प्रक्रिया में सबसे पहले आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा । जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये । तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा
3. उर्ध्वाधर आरक्षण के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे सैनिक, FF, handicap के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पहले आबंटित की जा सकती है ।
4. आरक्षित प्रवर्ग की सीटें जो क्षैतिज आरक्षण के कारण सैनिक FF, Handicap के लिये आरक्षित हैं यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा । इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा ।

**1.5.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य से विस्थापित वर्ग :–**

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेकनिकों तथा शासकीय कन्या पॉलिटेक्निकों में एक–एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है । इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप–9 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
2. इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हों और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी । ऐसे अभ्यंथियों को निर्धारित प्रारूप–10 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
3. किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी । तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा । परंतु अलग–अलग तिथि होने पर जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा ।

**1.6 प्रवेश हेतु पात्रता :**

**1.6.1 शैक्षणिक अर्हता :–**

(अ) **एम.ओ.एम.में त्रिवर्षीय डिप्लोमा**

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा किसी भी विषय समूह में न्यूनतम सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं निःशक्तजन (H) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

(ब) **सी.डी.डी.एम /आई.डी.डी. में त्रिवर्षीय डिप्लोमा**

कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग/इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10वीं परीक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा न्यूनतम सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं निःशक्तजन (H) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

(स) **आर्किटेक्चर में त्रिवर्षीय डिप्लोमा**

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन तथा गणित विषय समूह में न्यूनतम सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण करना आवश्यक है । भौतिक, रसायन एवं गणित विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं निःशक्तजन (H) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

टीप : यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 49.5 या उससे उपर को 50 तथा 44.5 को 45 प्रतिशत मान्य किया जायेगा ।

**1.6.2 स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकताएं**

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा स्थापित पॉलीटेकनिकों की सीटों पर केवल ऐसे अभ्यर्थियों को (जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़ कर) प्रवेश हेतु चयन के लिए पात्रता होगी जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हो । छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथा परिभाषित होगा । नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय–समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप – 5) आवेदन के साथ जमा करना होगा । इस प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप 7 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी ।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे । ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप 8 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

**अभिभावक की परिभाषा** :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनो का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो । अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति का अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी

**दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :**

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (Adoption deed) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है । इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदको के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहें हों । ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें ।

**1.6.3 आयु सीमा :–**

(1) समस्त डिप्लोमा पाठयक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये उम्मीदवार की आयु दिनांक **1 जुलाई 2011 को 25 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए । छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), महिला तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों को आयु में 03 वर्ष की छूट की पात्रता होगी ।

**1.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :**

**1.7.1 इस नियम के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है । अतः कोई प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा एवं प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रवेश होंगे ।**

**1.7.2 मेरिट का निर्धारण**

**(अ) माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट में प्रवेश के लिए :–**

अभ्यर्थियों के अर्हकारी परीक्षा 12वीं के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर (प्रायोगिक प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा) संयुक्त मेरिट सूची बनायी जायेगी । इसी प्रकार प्रवर्गवार योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेंगी एवं प्रत्येक प्रवर्ग में सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन एवं महिला वर्ग की मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी ।
समान प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता – समान प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम का निर्धारण करने के लिए उनके द्वारा प्रथम अर्हकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांकों (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक को मिलाकर) का प्रतिशत, द्वितीय अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी ।

आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यता क्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जावेगी ।

**(ब) सी.डी.डी.एम.(वेशभूषा अभिकल्पना एवं वस्त्र निर्माण)/इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन में प्रवेश के लिए**
अभ्यर्थियों के 10वी कक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची बनायी जायेगी । इसी प्रकार प्रवर्गवार योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेंगी एवं प्रत्येक प्रवर्ग में सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन एवं महिला वर्ग की मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी ।

समान प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता – समान प्रतिशत होने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी ।

**(स) आर्किटेक्चर में प्रवेश के लिये :–**

अभ्यर्थियों के 12वी कक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित विषयों के संयुक्त प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची बनायी जायेगी । इसी प्रकार प्रवर्गवार योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेंगी एवं प्रत्येक प्रवर्ग में सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन एवं महिला वर्ग की मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी ।

समान प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रावीण्यता – समान प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम का निर्धारण निम्नानुसार क्रम में उनके प्रावीण्यता के आधार पर किया जायेगा –

प्रथम– गणित, द्वितीय–भौतिक शास्त्र, तृतीय– कुल प्राप्तांक चतुर्थ– अधिक उम्र के अभ्यथियों को वरीयता दी जायेगी ।

**1.8 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure )**

1.8.1 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के 10वीं/12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा ऑन लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा । काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी ।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी । अतः 10वीं/12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें । काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी पॉलीटेकनिक संस्थानों से भी प्राप्त की जा सकती है । साथ ही यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in तथा http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011 में भी देखी जा सकती है । **इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी ।**

**काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) के समय अभ्यर्थी का 10वीं/12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । 10वीं अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होगे । तथापि संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।**

1.8.2 **काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस –** सभी अभ्यर्थियों को ऑन लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु. 300/– (रु. तीन सौ केवल) की राशि जमा करना अनिवार्य है ।यह राशि चालान के रूप में **भारतीय स्टेट बैंक** के देश भर में स्थित किसी भी शाखा में **"संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़"** के नाम से **संचालित खाता क्रमांक –** 31077008863 में जमा करना है । फीस, चालान के अतिरिक्त और किसी अन्य रूप में जैसे :– डी.डी., चेक, नगद के रूप में फीस स्वीकार्य नहीं है । ऑनलाईन काउंसिलिंग फार्म भरने से पूर्व रु. 300/– का चालान जमा कर लें । चालान निर्धारित प्रारूप में ही जमा करें, चालान का प्रारूप नान पी.पी.टी. – 2011 के नियम पुस्तिका के अंत में दिया गया है ।एक बार जमा की गई काउंसिलिंग फीस किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं है । चालान का प्रारूप वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in अथवा http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011 से भी डाउन लोड कर उपयोग किया जा सकता है। **चालान फार्म में Registration ID/Ref. No. के सामने 10वीं का रोल नंबर लिखें।** इसकी तीन प्रति में से एक प्रति बैंक में जमा होगी, DTE की कॉपी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना है एवं Candidate Copy को अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखना है ।

1.8.3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रकिया :

सामान्यतया ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार रहेगी । तथापि इसमें आंशिक फेरबदल हो सकते हैं । ऐसा होने पर इसकी जानकारी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011 में दी जायेगी ।

ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रकिया :

Online Registration and form filling: ऑन लाईन पंजीकरण एवं फार्म भरने का कार्य जहॉ पर इंटरनेट की सुविधा हो, अपनी सुविधानुसार घर पर, किसी सायबर कैफे में, किसी इंटरनेट पार्लर पर अथवा संचालनालय द्वारा निर्धारित एम.के.सी.एल. के सहायता केन्द्रों (Help Centres) में किया जा सकता है । कम्प्यूटर सिस्टम में Internet Explorer 7 अथवा उससे उच्च क्षमता वाले ब्राउजर का होना आवश्यक है । ऑन लाईन फार्म भरने हेतु जाने से पूर्व आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ में अवलोकन हेतु रखने चाहिये । 10वीं की अंकसूची ( सी.डी.डी.एम./आइ.डी.डी. के लिये),12वीं की अंकसूची (एम.ओ.एम./आर्किटेक्चर के लिये), बैंक चालान की प्रति (चालान संबंधी जानकारी भरने के लिये) अतः इन्हें देखने (सहायता) के लिये अपने साथ में लेकर जायें । संस्थाओं एवं वहॉ संचालित पाठ्यक्रमों की सूची वेबसाइट के होम पेज पर भी दी रहेगी।

ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन एवं फार्म भरने के लिये आपको निम्न चरण (Steps) करने होंगे ।

सबसे पहले उम्मीदवार http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011 नामक वेबसाइट में जायें । इसके होम पेज पर कई जानकारियॉ दी गई हैं । जैसे :– समस्त संस्थाओं की सूची, संस्थाओं की फीस की जानकारी, बैंक चालान का प्रारूप विभिन्न प्रारूपों की जानकारी, काउंसिलिंग प्रक्रिया की जानकारी, आदि । इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन कर लें ।

i. इसके पश्चात् स्क्रीन के बायें तरफ के मेनु [New Registration] को क्लिक करें एवं दिये गये निर्देशों को ध्यान से पढ़े । फिर [Proceed] बटन में क्लिक करें । दिये गये नियम एवं शर्तो (Terms & Conditions) को ध्यान से पढ़े, यदि ये शर्ते आपको मान्य है तो [Accept] बटन पर क्लिक करें । [Reject] करने पर आप प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे । यदि आपने त्रुटिवश [Reject] कर दिया है तो पुनः [New Registration] में जाकर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ।

ii. अगले स्क्रीन पर आपके मूल निवास की जानकारी पूछी जायेगी, यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तो [Yes] बटन में क्लिक करें। इसके पश्चात् अपना व्यक्तिगत जानकारी जैसे 10वीं का रोल नंबर (Roll No.) तथा जन्मतिथि (DOB) नाम, पिता का नाम ,लिंग तथा मोबाइल नं. भी भरें । इसके पश्चात् Save & Proceed >> करें।

iii. अगले स्क्रीन पर लागिन डिटेल खुलेगा जिसमें आपका लागिन आईडी दिया रहेगा। इसके बाद आपको Password डालने के लिये कहा जायेगा । आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी Password जिसे आप आसानी से याद रख सकें, यहॉ एंटर करें । पासवर्ड 06 digit का होना चाहिये एवं यह शब्दों या अंकों अथवा दोनों के मेल से बनाया जा सकता है । पासवर्ड को कन्फर्म करने के लिये पुनः दोबारा भरे जाने के लिये कहा जायेगा। इसके बाद आपको सुरक्षा के लिये कोई Security Questions पूछा जायेगा जिसका उत्तर आपको देना है। इसके पश्चात् Save & Proceed >> करें ।

iv. अगले स्क्रीन पर आपको अपना लॉगईन आई.डी./पासवर्ड नंबर दिखाई देगा इसे सुरक्षित नोट कर लें, चाहें तो प्रिंट ले ले । अपना लॉगईन आई.डी. एवं पासवर्ड याद रखें । यह बाद में भी काम आयेगा । इसे किसी अनधिकृत को न बतायें । इसके फार्म को पूरा भरने के लिए **Click here to Login** में क्लिक करें । इसके पश्चात जो विंडो खुलेगी उसमे **Candidate** में क्लिक करें तथा अपना लांगिन आईडी एवं पासवर्ड डाले एवं लांगिन पर क्लिक करें।

v. इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसके बाएं तरफ दिए Fill application form में क्लिक करें ।

vi. इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें शेष जनकारी जैसे धर्म, एवं पता, राज्य, पिनकोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरें इसके पश्चात् **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें ।

vii. इसके पश्चात् जो स्क्रीन खुलेगी उसमें अपना प्रवर्ग (SC,ST,OBC,UR) एवं वर्ग(S,FF,H) जो लागु हो उसे सलेक्ट करें ।

viii. अगले स्क्रीन पर चालान संबंधी जानकारी – भारतीय स्टेट बैंक के जिस ब्रांच में चालान जमा किया गया है उस ब्रांच का नाम एवं जमा करने की तिथि अंकित करें ।

ix. इसके पश्चात् शैक्षणिक योग्यता पूछा जायेगा कि आप 12वीं उत्तीर्ण हैं अथवा नहीं इसका उत्तर जैसा लागू हो वैसा दिए गए रेडियो बटन में क्लिक करें। यदि आप 12वीं उत्तीर्ण है तो रोल नं. एवं बोर्ड का नाम भरे तथा सलेक्ट स्ट्रीम से जिस कोर्स से आप 12वीं उत्तीर्ण है उस कोर्स (आट्र्स/कामर्स/साइंस) का नाम सलेक्ट करें। यदि आप साइंस से उत्तीर्ण है तो ग्रुप (PCM/PCB/PCMB) जो लागू हो उस पर सलेक्ट करें। यदि आप 12वीं उत्तीर्ण नहीं है तो आपको 10वीं की जानकारी पूछी जायेगी। तद्नुसार रेडियो बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप अपनी शैक्षणिक योग्यता की उपरोक्तानुसार जानकारी देंगे आपकी पात्रता के अनुसार उन पाठ्यक्रमों के नाम जिनमें आप प्रवेश हेतु पात्र हैं नीचे डिस्पले हो जायेंगे। यह हो सकता है कि आप एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र हों अब पाठ्यक्रम का विकल्प भरने के लिये **Select your Course** में जाये एवं इनमें से किसी एक अथवा एक से अधिक ब्रांच/पाठ्यक्रम जिसमें आप प्रवेश

लेना चाहते है तो संबंधित रेडियो बटन में क्लिक करें। जिसमें आप प्रवेश नहीं लेना चाहते उसमें क्लिक न करें।

x. इसके पश्चात अपने 10वीं अथवा/एवं 12वीं की विषयों के प्राप्तांक एवं पूर्णांक जैसा पूछा गया वैसा भरें। इसे पश्चात **Save & Proceed >>>** में क्लिक करें। इसके पश्चात अगले स्क्रीन पर आपके द्वारा चयनित पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं का नाम प्रदर्शित होगा । अब इन संस्थाओं में से जिस संस्था में आप पहले प्रवेश लेना चाहते हो उसके चेक बाक्स में क्लिक करें । इसके सामने सरल क्र.1 आ जायेगा। इसके पश्चात दूसरी प्राथमिकता पर जिस संस्था में प्रवेश लेना चाहते हों उसके सामने क्लिक करें। इसी प्रकार प्राथमिकता क्रम दें देंवे। जिस संस्था में आप प्रवेश नहीं लेना चाहते उसके सामने क्लिक न करें। अंत दिये गये घोषणा (Declaration) को पढ़े एवं यदि फार्म सही –सही भरा है तो Approve Application form में क्लिक करें।

xi. इसके पश्चात् स्क्रीन पर Application Form प्रदर्शित होगा, । इसका प्रिंट ले लें, प्रिंट लेने के पश्चात् यथा स्थान पर फोटो चिपका लें । इसका प्रिंट लेना अनिवार्य है क्योंकि इसी प्रिंट को लेकर आपको दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में जाना है । ध्यान रहें कि जो भी बदलाव में करना है, फार्म के प्रिंट लेने से पहले तक किया जा सकता है, प्रिंट लेने के पश्चात आपके द्वारा कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। तथापि दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) द्वारा अंतिम रूप से फार्म को सबमिट करने से पूर्व बदलाव दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) द्वारा किया जा सकता है। अतः यदि आवश्यक हो तो बदलाव हेतु दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में निवेदन किया जा सकता है।

टीप : 1. आपको संस्था एवं ब्रांच का आबंटन आपके 10वीं (CDDM, IDD) /12वीं (MOM,ARCHITECTURE) के प्राप्तांक (मेरिट) के आधार पर नियमानुसार होगा, परंतु यह हो सकता है जो प्राथमिकता क्रम आपने भरे हैं वे आपका मेरिट अन्य से कम होने के कारण आपको न मिले । यह भी ध्यान रखें कि चूंकि आबंटन कार्य पूरी तरह से साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन होता है । अतः यदि आपने विकल्पों का चयन नहीं किया है अथा क्रम नहीं दिया है तो उन विकल्पों का आबंटन नहीं होगा जिनका आपने चयन नहीं किया अथवा क्रम नहीं दिया हैं । केवल उन्हीं विकल्पों में से आबंटन होगा, जिनका चयन/क्रम आपने दिया है ।

2. आप रजिस्ट्रेशन एवं ऑप्शन फार्म कहीं से भी भर सकते हैं यदि किसी भी स्तर पर कोई कठिनाई होती है तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अथवा MKCL के सहायता केन्द्रों (Help Centre) में जाकर मदद पाई जा सकती है । MKCL के अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है।

| स.क्र. | MKCL के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता | जिला | दूरभाष क्रमांक | स.क्र. | MKCL के सहायता केन्द्रों का नाम एवं पता | जिला | दूरभाष क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्लोबल मल्टीमीडिया, हनुमान मंदिर के पास, डी.सी. रोड, अंबिकापुर | सरगुजा | 07774–203096<br>98268–77024<br>97536–45205 | 16 | एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन, गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स, पैलेस रोड, सारंगढ़ | रायगढ़ | 07768–233902<br>93009–60024<br>93291–52626 |
| 2 | आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी., सत्या हीरोहोन्डा शोरूम के पास, मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा, बिलासपुर | बिलासपुर | 07752–412207<br>93003–20846 | 17 | डाल्फिन कम्प्यूटर एजुकेशन, चक्रधर नगर चौक, सरला विला के पास, रायगढ़ | रायगढ़ | 07762–222999<br>97531–65888<br>90398–22411 |
| 3 | डी.टेक. कम्प्यूटर्स, बी.एस.एन.एल. ऑफिस के सामने, राजकिशोर नगर, बिलासपुर | बिलासपुर | 07752–427708<br>92298–28788 | 18 | आई.टी. इलेवन, फाफाडीह, मेन रोड, रायपुर | रायपुर | 0771–4059696<br>94252–08313 |
| 4 | एम्स कम्प्यूटर, डी.पी. विप्र बी.एड. कॉलेज के पास जेवरा बाड़ा, बिलासपुर | बिलासपुर | 96174–99156<br>98279–50105<br>92292–43357 | 19 | आई.टी.जीनियस प्रा.लि. पासपोर्ट ऑफिस के उपर, तीसरा तल, दीनदयालउपाध्याय नगर, रायपुर | रायपुर | 0771–4069861<br>96173–72319 |
| 5 | आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी., ओजस्वी नर्सिंग होम के सामने, गुलमोहर वाटिका, | धमतरी | 93028–32896<br>98264–3289 | 20 | शिवांता टेक्नालॉजी,, प्रथम तल, कृष्णा प्लाजा, बिन्दा सोनकर स्कूल के | रायपुर | 0771–4058990<br>98267–00068 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रूद्री रोड,, धमतरी | | 6 | | सामने,अश्वनी नगर, रायपुर | | |
| 6 | हिमांशु इंफोटेक, प्रथम तल, 108 न्यू सिविक सेंटर, गीत टॉकीज के पीछे, भिलाई | दुर्ग | 0788–2352445 99268–44199 | 21 | आसैक (ISAAC) कम्प्यूटर एजुकेशनल, ऑपोसिट राजकुमार कॉलेज, चौबे कॉलोनी, रायपुर | रायपुर | 0771–4061441 98271–44077 |
| 7 | कम्प्यूटर इंफो सॉल्यूशन, शॉप नं.–75,सेक्टर –10, ए मार्केट, भिलाई | दुर्ग | 0788–4031312 99932–51100 90390–39995 | 22 | अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कस्तूरबा महिला मंडल, पुराना रेस्ट हाउस, राजनांदगॉव | राजनांदगॉव | 07744–409682 98261–90095 |
| 8 | पेस आई.टी. सिंधी कॉलोनी, डॉ. सिद्दीकी क्लिनिक के उपर, स्टेशन रोड, गुरूद्वारा के पास, दुर्ग | दुर्ग | 0788–4013474 98271–71227 | 23 | अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन, दिग्विजय कॉलेज रोड, राजनांदगॉव | राजनांदगॉव | 07744–409555 93295–51000 |
| 9 | अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सांई मंदिर के सामने, सिविल लाईन्स,कसारीडीह, दुर्ग | दुर्ग | 0788–2326540 93023–53905 93021–87300 | 24 | सी–टेक कम्प्यूटर एजुकेशन, बालेराय स्टेडियम के सामने, मेनरोड, जांजगीर–चांपा | जांजगीर–चांपा | 07819–244288 98261–96610 |
| 10 | यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन, जैन मंदिर रोड, जगदलपुर | बस्तर | 07782–226632 94252–61196 | 25 | नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड, नारायणपुर | नारायणपुर | 94255–18385 |
| 11 | सेट कम्प्यूटर, भाटिया कॉलोनी, शासकीय हास्पिटल के सामने, पत्थलगॉव | जशपुर | 07765–234000 94241–83777 | 26 | नेशनल कम्प्यूटर्स, चर्च के पास, कांकेर | कांकेर | 98278–87087 94252–61817 |
| 12 | शर्मा कम्प्यूटर्स, करबला चौक, जशपुर | जशपुर | 07763–223600 07728–231396 94252–52975 | 27 | ट्रैक कम्प्यूटर, साडा काम्प्लेक्स, ए–12, बस स्टेण्ड, दंतेवाड़ा | दंतेवाड़ा | 07856–252324 94252–58546 |
| 13 | विद्या कम्प्यूटर एजुकेशन सोसायटी दीप मीडिया, एकता चौक, कवर्धा | कवर्धा | 07741–232772 98936–01234 94076–07454 | 28 | नाईस–टेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखंड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास, मनेन्द्रगढ़ | कोरिया | 07771–241927 93015–87039 |
| 14 | राहे कम्प्यूटर, निहारिका टॉकीज के पास, कोरबा | कोरबा | 07759–226144 81035–23771 | 29 | इंडियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट, पिंजा धर्मशाला के पास, स्टेशन रोड, महासमुन्द | महासमुन्द | 07723–222121 98264–26982 |
| 15 | एजुकेशन प्लानेट, दीनदयाल मार्केट के सामने, पावर हाउस रोड, कोरबा | कोरबा | 07759–228705 98263–12327 | | | | |

इसकी सूची वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in एवं http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011 में भी दी गई है।

2. एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र केवल अभ्यर्थी को फार्म भरने के लिये कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं वेबसाइट के पेजों का उपयोग कैसे किया जाये, इसके बारे में ही सलाह दे सकेंगे । विकल्प अभ्यर्थी को अपनी इच्छानुसार भरना है । सहायता केन्द्रो का उपयोग करने पर अभ्यर्थी को रु. 10/- प्रोसेसिंग शुल्क एवं रु. 5/- प्रति पेज का प्रिंटिंग शुल्क देय होगा । कोई भी सहायता केन्द्र आपकी इच्छा के विरूद्ध विकल्प नहीं भर सकता, विकल्प अभ्यर्थी को ही भरना है ।

**4. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) –**

आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र (DVC) में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है, पालक को साथ में लाना अनिवार्य नहीं है । दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है । ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा । दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं । जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा । एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता ।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार हैः–

| स. क्र. | दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता | दूरभाष क्रमांक | स. क्र. | दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता | दूरभाष क्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संचालनालय तकनीकी शिक्षा, बायरन बाजार, रायपुर | 0771–2421376 | 5. | शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक, धरमपुरा नं. –2, जगदलपुर | 07782–229230 |
| 2 | शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक रायपुर, बायरन बाजार, रायपुर | 0771–2423045 | 6. | शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक तहसील कार्यालय, राजनांदगॉव | 07744–226830 |
| 3 | शास.पॉलीटेकनिक, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर | 07774–220609 | 7. | शासकीय पॉलीटेकनिक, चक्रधर नगर, रायगढ़ | 07762–222737 |
| 4. | शास. इंजीनियरिंग महाविद्यालय, कोनी., बिलासपुर | 07752–260289 | 8. | शासकीय पॉलीटेकनिक, जी. ई. रोड, दुर्ग | 0788–2323548 |

दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटो कॉपी करा लिये हैं । जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :

**सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –** सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 01 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है । केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है । सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी ।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन फार्म की प्रति ।
2. 10वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं) ।
3. 12वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)।
4. छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक – 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाइंस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।
5. रु. 300/- काउंसिलिंग फीस जमा करने के साक्ष्य के रूप में बैंक चालान की DTE प्रति
6. 02 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर आना है ।

**छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज –**

7. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा) ।

8. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने संबंधी **जाति सत्यापन प्रमाण पत्र** । यदि जाति सत्यापन प्रमाण पत्र न बना हो तो इसके लिये 02 माह का समय दिया जायेगा । इसके पश्चात् भी प्रमाण पत्र जमा न करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।
9. यदि अभ्यर्थी सैनिक (S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब)या (स) में ।
10. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप – 4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
11. यदि अभ्यर्थी विकलांग (H) है तो विकलांगता प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।

**टीप : विकलांग छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे उन्हीं ब्रांच का विकल्प भरें जिनके अध्ययन करने हेतु उन्हें उपयुक्तता प्रमाण पत्र दिया गया हैं/उपयुक्त हैं ।**

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (category) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर । यदि आपके पास जाति सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं है तो इसे बनाने के लिये प्रवेश तिथि से लेकर 02 माह का समय दिया जायेगा । यदि आप 02 माह के भीतर भी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाये एवं यदि आपका आबंटन आरक्षित श्रेणी में हुआ है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की रहेगी । उसी प्रकार यदि आपके पास सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/ विकलांग का प्रमाण पत्र नहीं है तो संबंधित वर्ग (class) को NIL में परिवर्तित कर दिया जायेगा एवं तद्नुसार आबंटन होगा ।

उपरोक्त प्रमाण पत्र लेकर जब आप दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र के अधिकारियों द्वारा आपके मूल दस्तावेजों से आपके Application Form में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा एवं यदि इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिये कहा जायेगा । यदि आपकी किसी जानकारी जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, केटेगरी, क्लास, लिंग आदि मे फार्म भरते समय त्रुटि हो गई हो तो लिखित में आवेदन देकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करके इसे सुधरवाया जा सकता है । जब सभी दस्तावेज सही पाये जायेंगे तो दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका Application Form को अंतिम रूप से सबमिट कर दिया जायेगा । सबमिट करने पर Acknowledgement Form प्रदर्शित होगा । इसके बाद इसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकेगा । Acknowledgement Form की 01 प्रति प्रिंट की जायेगी एवं इसमें छात्र के हस्ताक्षर लिये जायेंगे तथा परीक्षणकर्ता के हस्ताक्षर एवं DVC की सील भी लगाई जायेगी । DVC द्वारा आपको Acknowledgement Form की 01 प्रति दी जायेगी, जिसे आप सुरक्षित रखें । काउंसिलिंग स्थल से बाहर जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जो फार्म आपको दी गई है वह Acknowledgement Form फार्म ही है एवं उसमें DVC की सील लगी है । इसमें अपना फोटो यथा स्थान पर चिपका लें।

**निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में नहीं है इसलिये इन दस्तावेजों को साथ में नहीं लाना है, परंतु इनकी आवश्यकता संस्थानों में प्रवेश लेते समय रहेगी । अतः संस्था में प्रवेश के समय साथ लेकर जायें।**

1. SC/ST/OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आय प्रमाण पत्र
2. स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र
3. गेप प्रमाण पत्र (यदि 8वीं से 12वीं के मध्य अध्ययन में व्यवधान हुआ है तो)
4. माइग्रेशन प्रमाण पत्र (अन्य राज्य के बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये)

**टीप :– यदि आपको किसी एम.के.सी.एल. सहायता केन्द्र अथवा दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से कोई शिकायत हो तो इसकी लिखित शिकायत स्वयं उपस्थित होकर संचालनालय में की जा सकती है ।**

**5. सीट आबंटन**

(अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र से सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् एक निश्चित तिथि को सभी अभ्यर्थियों का संस्था/ब्रांच आबंटन कर दिया जायेगा । अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प का आबंटन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा दिये गये एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म के प्रिंट आउट में दिये गये जानकारी के अनुसार उनके 10वीं (CDDM,IDD के लिए) /12वीं (MOM,ARCHITECTURE के लिए ) के प्राप्तांक के मेरिट के आधार तथा उस वर्ग/प्रवर्ग में वह सीट उसकी बारी आने तक उपलब्ध रहने के आधार पर होगा। आपकी पात्रता एवं आपके द्वारा चयन किए गये पाठ्यक्रम के आधार पर हो सकता है कि आपका आबंटन एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिए हुआ हों। इनमें से जिस पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश लेना चाहते हैं। वहा निर्धारित तिथि तक प्रवेश लें अन्यथा आबंटन स्वयमेव निरस्त माना जावेगा। आबंटन सूची वेबसाइट http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011 पर भी देखा जा सकता

है, यदि आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो SMS के द्वारा आपको सूचित किया जायेगा । SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी संचालनालय/एम.के.सी.एल. की नहीं रहेगी ।

(ब) आप Print Allotment Letter में जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी नंबर डालकर अपना अस्थायी आबंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं । अस्थायी आबंटन पत्र इंटरनेट द्वारा कहीं से भी निकाला जा सकता है । इसकी 01 प्रति अपने पास सुरक्षित रखें । इसे लेकर आबंटित संस्था में निर्धारित तिथि तक प्रवेश प्राप्त करें ।

6. **आबंटित संस्था में प्रवेश लेना –**

आबंटित संस्था में दिये गये निर्धारित अवधि तक प्रवेश लेना अनिवार्य है। यदि आपका एक से अधिक आंबटन हुआ है तो उसी संस्था/पाठ्यक्रम में प्रवेश ले जहां आप चाहते हैं। यदि इस अवधि में प्रवेश नहीं लिया जाता है तो आपका आबंटन स्वमेव निरस्त माना जायेगा । ध्यान रखें कि प्रवेश के समय आबंटित संस्था में भी आपके दस्तावेजों की जांच होगी । अतः संस्था में प्रवेश के लिये अस्थायी आबंटन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेजों एवं निर्धारित फीस के साथ संस्था में उपस्थित हों, संस्थाओं की फीस की जानकारी वेबसाइट के होम पेज पर दी गई है । यदि प्रवेश के समय अथवा उसके बाद भी किसी स्तर पर यह ज्ञात होता है कि छात्र द्वारा गलत जानकारी देने के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण गलत प्रवेश/आबंटन हो गया है तो प्रवेश/आबंटन रद्द करने का अधिकार संचालनालय/संस्था को रहेगा।

चूंकि प्रवेशित छात्रों की जानकारी संस्थाओं द्वारा ऑन लाईन रोजाना अपडेट की जायेंगी । अतः छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये अपने सामने ही वेबसाइट के इंस्टीट्यूट लॉग इन में अपना प्रवेश कन्फर्म करवा लें । बिना ऑनलाईन कन्फर्म किये छात्र का प्रवेश मान्य नहीं होगा। प्रवेश के समय संस्था में कोई भी मूल दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

7. **प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त सीटों की जानकारी वेबसाईट में अपलोड करना –**

प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् समस्त संस्थाओं में कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश नहीं लेने के कारण एवं प्रथम चरण में आबंटन नहीं होने के कारण रिक्त सीटों की सूची निर्धारित तिथि को प्रदर्शित की जायेगी। इन रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही संस्था स्तर पर की जाएगी।

8. यह काउंसिलिंग कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित किया जा सकता है जिसकी सूचना वेबसाइट में दी जावेगी इसलिए इसका नियमित अवलोकन करते रहें ताकि किसी तरह की प्रक्रिया में बदलाव अथवा अद्यतन जानकारी से अवगत रहें ।

9. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011 एवं www.cgdteraipur.ac.in में दी गई है। आवश्यक पूछताछ के लिये दूरभाष क्रमांक 0771–2421376 एवं मोबाइल नंबर 98274–72366 पर संपर्क किया जा सकता है।

10. केवल एक ही चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग की जाएगी इसके पश्चात संस्थाओं में रिक्त रह गई सीटों पर संस्था स्तर पर प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। संस्था स्तर पर प्रवेश 21 जुलाई से 30 जुलाई तक हो सकेंगे। प्रवेश के इच्छुक छात्र संस्था में सम्पर्क कर सकते है।

11. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में सक्षम अधिकारी/संचालक, तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा ।

2.8.4 यदि अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या दस्तावेज परीक्षण के समय आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में द्वितीय चरण (यदि होता है) में दस्तावेज परीक्षण की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उसे सीट आबंटन करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जिस दिन भी वह उपस्थित होगा उसे उस दिन उपलब्ध सीट/संस्था/ब्रांच में ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा । यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग की अंतिम चरण के समय भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह किसी भी सीट/संस्था/ब्रांच में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा ।

**2.8.5 गंभीर बीमारीः–**यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते है, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर *दस्तावेज परीक्षण हेतु* सम्मिलित हो सकेंगे । ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि

दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा ।

2.8.6 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी । ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे ।

2.8.7 (अ) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक **(S),** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **(FF)** तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग **(H)** में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग **(Op)** में परिवर्तित कर भरा जाएगा । परंतु अनारक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक **(S),** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **(FF)** तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग **(H)** के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले सैनिक **(S),** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **(FF)** तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग **(H)** के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा ।

(ब) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा ।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग **(ST)** के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति **(SC)** के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति **(SC)** के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति **(ST)** के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC)** (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग **(UR)** के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे ।

2.8.8 <u>एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में</u> आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी । यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है ।

2.8.9 **छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम –**

1. काउंसिलिंग के दौरान अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू. 500/– की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।
2. काउंसिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tuition & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी । कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी ।

   कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

   Deductable Fees = No. of admitted months * Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University

   फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं । प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा । यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा
3. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

1.8.10 पॉलीटेकनिकों में केंद्रीय काउंसिलिंग की अंतिम तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जावेगी तथा इस तिथि के पश्चात काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत रिक्त रह गई सीटों के विरूद्ध तथा संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से अथवा किन्ही अन्य कारणों से रिक्त

सीटों के विरूद्ध प्रवेश की कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी से की जावेगी । प्रवेश की यह कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा घोषित एक निश्चित तिथि को संचालनालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व काउंसिलिंग द्वारा मेरिट के आधार पर की जावेगी

1.9 **संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना** – यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/ संचालनालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर तकनीकी शिक्षा संचालक छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा ।

1.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा । छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा ।

1.11 काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य शासन अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह शासकीय पॉलीटेकनिकों में प्रवेशित सीटों के विरूद्ध प्रवेशित किसी भी छात्र/छात्राओं को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित करें, चाहे उसके मेरिट अंक कुछ भी हो । ऐसे प्रकरण किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक पॉलीटेकनिक में 4 सीटों से अधिक नहीं होगे । ये 4 सीट स्वीकृत क्षमता के **Over & Above** रहेगा तथा इस प्रकार स्थानांतरित छात्र/छात्रा को वही ब्रांच मिलेगी जिसमें उसने काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में प्रवेश लिया होगा । ऐसी स्थानांतरित सीटें पूर्व की संस्था में रिक्त नहीं मानी जाऐंगी । स्थानांतरण केवल प्रथम वर्ष के लिए होगा । द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण रिक्त सीटों की स्थिति के अनुसार मेरिट के आधार पर होगें एंव अंतिम वर्ष में स्थानांतरण नहीं हो सकेंगे । यदि पृथक से स्थानांतरण नीति शासन/ संचालनालय द्वारा जारी की जाती है तो वह लागू रहेगी ।

1.12 **शिक्षण शुल्क –**

**शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेकनिकों एवं शासकीय कन्या पॉलीटेकनिकों में शिक्षण शुल्क**

| कमांक | प्रवर्ग का विवरण | वार्षिक आय सीमा (रूपये) समस्त स्त्रोतों से | वार्षिक शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क |
|---|---|---|---|
| 1 | अनारक्षित प्रवर्ग | निरंक | रू. 6000/– (5000+1000) अन्य पाठ्यक्रम हेतु |
| 2 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय | (अ) 200000 दो लाख तक है | देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा) |
| | | (ब) 200000 से अधिक किन्तु 250000 मे | पचास प्रतिशत शुल्क देय है (शेष प्रतिपूर्ति होगा) |
| | | (स) 250000 से अधिक | पूरा शुल्क देय है । |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय | (अ) 25000/– तक है | देय नहीं (प्रतिपूर्ति होगा) |
| | | (ब) 25000/– से अधिक | पूरा शुल्क देय है । |

टिप्पणी : वर्ष 2011–12 के लिये शासन यदि कोई परिवर्तन करता है तो वह लागू होगा । उपरोक्त शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क के अतिरिक्त लगभग रू. 1000/– अन्य फीस भी देय है ।

1.13 **काउंसिलिंग शुल्क**– शासकीय संस्थाओं को काउंसिलिंग शुल्क देय नहीं है ।

1.14 **ट्यूशन फी वेव्हर योजना– Tution Fee Waiver (TFW) Scheme**

1.14.1 यह योजना ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं डिप्लोमा स्तर तक अनुमोदित पाठ्यक्रम के लिये लागू होगी ।

1.14.2 यह योजना राज्य के समस्त शासकीय सहशिक्षा एवं कन्या पॉलिटेक्निको में लागू होगी ।

1.14.3 शासकीय संस्था की पूरी सीट नहीं भरने पर भी ट्यूशन फी वेव्हर देय होगा ।

1.14.4 हर 60 प्रवेश क्षमता के पीछे 01 शारीरिक रूप से विकलांग छात्र को एवं 03 छात्राओं को तथा 02 अन्य को अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर देय होगी । इस हेतु छात्र के पालक/अभिभावक की आय समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू. 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये ।

टीपः महिला कोटा एवं निःशक्तजन कोटा के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन कोटा की सीटों को अन्य कोटे में मेरिट के आधार पर दिया जायेगा ।

1.14.5 फी वेव्हर के प्रस्ताव संस्थाओं द्वारा संचालनालय को भेजे जायेंगे संचालनालय में परीक्षण के उपरांत अनुमोदन दिया जायेगा ।

1.14.6 जिन अभ्यर्थियों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा वापस की जायेगी ।

1.14.7 आय प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप – 11 नियम पुस्तिका में दिया गया है । आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा । च्वाइस सेंटर से जारी आय प्रमाण पत्र मान्य किया जायेगा ।

1.14.8 ट्यूशन फी वेव्हर प्राप्त अभ्यर्थी को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं रहेगी । संस्था परिवर्तन पर, ब्रांच परिवर्तन पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जायेगी । यदि बाद में प्रवेशित छात्र का मेरिट फी वेव्हर की अन्य आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पूर्व प्रवेशित छात्र से उपर है तो ऐसे उच्च मेरिट वाले अभ्यर्थी को फी वेव्हर की पात्रता होगी ।

1.14.9 एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम के लिये लागू होगी ।

1.14.10 फी वेव्हर जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते है तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी ।

1.14.11 फी वेव्हर स्कीम के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगा किंतु संस्था में ली जाने वाले अन्य फीस देय होगी ।

1.14.12 विवाद की स्थिति में संचालक तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

**1.15 रैगिंग**

**रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है ।** इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा **''छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिशेध अधिनियम 2001''** जारी किया है । जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है । इस अधिनियम का मुख्य–मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

**1.15.1 परिभाषा :–**

''**रैंगिग**'' से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना ।

**1.15.2 रैंगिंग का प्रतिशेध :–** किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।

**1.15.3 दण्ड :–**यदि कोई व्यक्ति रैंगिग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो 5 हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा

**1.15.4 अपराधों का विचारण :–**

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जायेगा

**1.15.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :–**

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा ।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा ।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।अवर सचिव

छ.ग. शासन
तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

## छात्र हित में अन्य जानकारियॉ –

1. **संस्थाओं के संबंध में अत्यावश्यक/आवश्यक जानकारियॉ–**

अभ्यर्थी काउंसिलिंग आरंभ होने से पूर्व ही कालेजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे कि संस्था की जिला मुख्यालय से दूरी, परिवहन की सुविधा, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की जानकारी, संस्था का भवन एवं प्रायोगिक सुविधाऐं, फीस आदि प्राप्त कर लें, संस्था के संबंध में पर्याप्त जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार का आक्षेप मंजूर नहीं किया जायेगा । छात्रों एवं अभिभावको की सुविधा हेतु इस पुस्तिका में डिप्लोमा इंजीनियरिंग संस्थाओं के नाम, पते, फोन नंबर, वेबसाइट आदि की जानकारी दी जा रही है । वेबसाईट http://oasis.mkcl.org/cgnonppt2011में भी एक लिंक इंस्टीट्यूट प्रोफाइल के नाम से दिया गया है । जहॉ जाकर संस्था से संबंधित जानकारी देखी जा सकती है ।

2. **बी.पी.एल. स्कॉलरशिप** – यह योजना सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार के बच्चों के लिये है । इस योजना के तहत रु. 500/– प्रतिमाह की स्कॉलरशिप दी जाती है । इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन संस्था प्राचार्य को किया जाना होता है । इसकी स्वीकृति संचालनालय द्वारा की जाती है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2011** है ।

3. **मेरिट स्कॉलरशिप** – यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है । इसके लिये कोई आय का बंधन नहीं है । यह स्कॉलरशिप 10वीं/12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है । समस्त संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् कुल 13 छात्रों को यह स्कॉलरशिप आबंटित की जाती है । वर्तमान में इसकी दर रु. 75/–प्रतिमाह है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2011** है ।

4. **मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप** – यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है। परंतु इसके लिये आय का बंधन है । पालक की आय रु. 24,000/– प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये । यह स्कॉलरशिप 10वीं/12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है । यह स्कॉलरशिप संस्थावार आबंटित की जाती है । वर्तमान में इसकी दर रु. 125/– प्रतिमाह है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत

विद्यार्थियों के लिये है । आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

5. **आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC के लिये मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप एवं शिक्षण शुल्क की वापसी ।**

शासन की नीति के अनुसार SC/ST/OBC के छात्र जो संस्थाओं में प्रवेशित है, उन्हें पालक के आय के अनुसार मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता है । साथ ही साथ आय के अनुसार ही शिक्षण शुल्क वापस पाने की भी पात्रता है । निजी संस्थाओं के लिये फीस की वापसी शासकीय संस्थाओं में निर्धारित फीस से समतुल्य होती है । इसकी विस्तृत जानकारी संस्था से अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आदिम जाति विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है ।

6. **ट्यूशन फी वेव्हर** (TFW) **योजना** – इसकी विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 1.14 में दी जा चुकी है । विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है । यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है । संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **31 दिसंबर 2011** है ।

## तालिका – 01

### राज्य के शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेकनिक एवं शासकीय कन्या पॉलीटेकनिक में प्रवेश क्षमता

| स.क्र. | संस्थाओं के नाम | एम.ओ.एम. | सी.डी.डी.एम. | आई.डी.डी. | आर्किटेक्चर | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शास.कन्या पॉलीटेकनिक, रायपुर | 40 | 30 | 30 | 30 | 130 |
| 2 | शास.कन्या पॉलीटेकनिक, जगदलपुर | 30 | 30 | – | – | 60 |
| 3 | शास.कन्या पॉलीटेकनिक, राजनांदगॉव | 30 | 30 | – | – | 60 |
| 4 | शास.पॉलीटेकनिक, दुर्ग | 40 | – | – | – | 40 |
| **कुल** | | **140** | **90** | **30** | **30** | **290** |

## तालिका – 02

### वर्ग एवं प्रवर्गवार

### DISTRIBUTION OF SEATS IN GIRLS POLYTECHNIC, RAIPUR

| | UR | | | | | SC | | | | | ST | | | | | OBC | | | | | TOTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | T0 | S | FF | H | F | GT |
| MOM | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 35 | 40 |
| CDDM | 1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 30 |
| I.D.D. | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 30 |
| ARCH. | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 | 30 |
| TOT | 3 | 2 | 2 | 58 | 65 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 1 | 1 | 1 | 24 | 27 | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 | 6 | 5 | 5 | 114 | 130 |

### DISTRIBUTION OF SEATS IN GIRLS POLYTECHNIC, JAGDALPUR

| | UR | | | | | SC | | | | | ST | | | | | OBC | | | | | TOTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | GT |
| MOM | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 30 |
| CDDM | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 27 | 30 |
| TOT | 2 | 1 | 1 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 55 | 60 |

### DISTRIBUTION OF SEATS IN GIRLS POLYTECHNIC, RAJNANDGAON

| | UR | | | | | SC | | | | | ST | | | | | OBC | | | | | TOTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | TO | S | FF | H | F | GT |
| MOM | 1 | 1 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 27 | 30 |
| CDDM | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 |
| TOT | 2 | 1 | 1 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 55 | 60 |

### DISTRIBUTION OF SEATS IN POLYTECHNIC, DURG

| | UR | | | | | | SC | | | | | | ST | | | | | | OBC | | | | | | TOTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S | FF | H | F | OP | TO | S | FF | H | F | OP | TO | S | FF | H | F | OP | TO | S | FF | H | F | OP | TO | S | FF | H | F | OP | TO |
| MOM | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 27 | 40 |

**टिप्पणी :–**

1. उपरोक्त सीटों की संख्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/ भोपाल की अनुमति के अध्यधीन निश्चित होगी ।
2. सीटों की संख्या एवं प्रकार में परिवर्तन हो सकता है ।

**प्रमाण पत्रों का प्रारूप**
**प्रारूप – 1**
**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र**
**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग ........................................ जिला ........................................ छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ........................................
प्रमाण पत्र क्रमांक ........................................ प्रकरण क्रमांक ...............................

| स्थायी जाति प्रमाण पत्र |
|---|

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ................................................................पिता/पति का नाम .................. .................................. निवासी ग्राम/नगर .........................पटवारी हल्का नं. ...................... वि.खं. ............................ तहसील ............................जिला .......................... संभाग ........................ जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ............................ जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक...... ................................................... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री ............................................................................ पिता/पति का नाम ................................................................अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ........................................ के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ...................................................... है ।

दिनांक– ............................

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम सील

टिप्पणी

1. अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनजाति
2. केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. अनुविभागीय अधिकारी उप संभागीय मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद्/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।

   यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात ही जारी किया जाये, न कि अभ्यर्थी के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ।

**प्रारूप – 2**

**छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप**

**कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)**

अनुभाग .................................................... जिला....................................... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ........................ प्रकरण क्रमांक ..........
प्रमाण–पत्र क्रमांक ...................

**स्थायी जाति प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....................................... आत्मज श्री ...................................... निवासी ग्राम/ नगर ...................... जिला/ संभाग ................ छत्तीसगढ़ के निवासी है जो............... जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ (म.प्र.) शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री ........................................ और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला .......................... ................................ संभाग ................................ में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक ...................... को प्रवृजन कर चुका है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...................................... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची में कालम–3 में तथा छत्तीसगढ़ (म.प्र.) शासन, सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 7–26/93/1/आ.प्र. दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट–ई की अनुसूची के कालम–(3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी ..................................... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ............................. है ।

दिनांक .....................

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(सील) पदनाम

## प्रारूप– 3ः सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण–पत्र
## भाग– (अ)
## भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कार्मिक/स्थायी रूप से निःशक्त प्रतिरक्षा कार्मिक

संदर्भ क्रमांक........... दिनांक...................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.........................................................................................................जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, छ.ग. की (10+2) प्रणाली की दसवीं/बारहवी परीक्षा वर्ष................................के आधार पर........................................................................................................ पाठ्‌यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री ........................................................के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं । सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ...............................................................पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक..............था ।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में..........................पद पर सर्विस क्रमांक.............के अधीन सेवा के दौरान के स्थायी रूप से निःशक्त हो गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.......में हो चुकी है ।

स्थान............ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक........... (कार्यालय सील)

---

## प्रारूप 3 (ब)

## भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाणपत्र

संदर्भ क्रमांक........... दिनांक...................

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.................................... (अभ्यर्थी का नाम).....................जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की (10+2) प्रणाली की 10 वीं/12 परीक्षा वर्ष ................ के आधार पर .....................पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी हैं के माता /पिता श्री/सुश्री .............................................सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से .........................(स्थान) तहसील..................... जिला...........................में व्यवस्थापित हो गये हैं ।

स्थान..........
दिनांक.........

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

### प्रारूप 3 भाग–(स)

### छत्तीसगढ़ में/छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक............ दिनांक.............

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.......................................................................................................जो माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग. की (10+2) प्रणाली की–दसवीं/बारहवीं परीक्षा वर्ष............ के आधार पर ........................ .............पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री................................. के पिता/माता हैं ।

अ. थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.......................के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.................. के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वे छत्तीसगढ़ में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं । वे इस इकाई में दिनांक..............से सेवारत है ।

अथवा

ब. थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.......................के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.................. के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं ।

स्थान............ हस्ताक्षरः आफिसर कमांडिग.........................................
दिनांक.......... (कार्यालय सील)

---

### प्रारूप–4
### स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी हेतु प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक........... दिनांक..................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.........................................................................(अभ्यर्थी का नाम) पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमति ................................................................................ (अभ्यर्थी के पिता–माता का नाम) के/की नैसर्गिक पुत्र/पुत्री है । जो श्री / सुश्री..................................................................(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की नैसर्गिक पुत्र/पुत्री है ।श्री / श्रीमति........................................................(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम छत्तीसगढ़ के जिला.................................... (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक................पर पंजीकृत हैं

स्थान................ हस्ताक्षरः कलेक्टर
दिनांक.............. (कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

---

## प्रारूप : 5 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक....................... दिनांक .......................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री ............................आत्मज/आत्मज/पत्नी .............. निवासी .................... .....................तहसील ..................... व जिला ............................................

छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, क्योंकि वह :–

1. छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है ।

अथवा

(क) वह,

अथवा

(ख) उसके पालकों में से कोई एक

अथवा

(ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक गार्जियन छत्तीसगढ़ में पन्द्रह वर्षो से निरंतर रह रहा है ।

अथवा

2. उसके पालकों में से कोई भी :–

(क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है ।

अथवा

(ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

3. (क) वह स्वयं

अथवा

(ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं ।

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त की पूर्ति भी करता है :–

4. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है, अथवा उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षायें **उत्तीर्ण की है, अर्थात** :–

(क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा ।

(ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा ।

(ग) अन्य मामलों में पांचवी कक्षा की परीक्षा ।

**टीपः–** (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं पत्नी

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियो/कर्मचारियों की संतान एवं पत्नी ।

(ग) शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी ।

(घ) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधि पदों पर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों संतान तथा उनकी पत्नी । प्रदेश के स्थनीय निवासी माने जायेंगे ।

उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

**टीपः–** जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जावे ।

प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर

....................................

पदनाम एवं सील

**प्रारूप – 6**

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण–पत्र

संदर्भ क्रमांक................ दिनांक....................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....................................................जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम ...........................................................................................जो .............................पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..........................................................का /की/पुत्र/पुत्री है ।

क. जो............................विभाग में...............................पद पर .....................(तिथि) से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है ।

ख. जो............................विभाग में ............................पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ के कर्मचारी थे और जो ................ ..........(तिथि) से इस विभाग से सेवानिवृत हुए ।

स्थान.................... कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.................. (कार्यालयीन सील)

---

**प्रारूप – 7**

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................ दिनांक....................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/.....................................................जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..................................................................................... वर्ष................. के आधार पर (पाठ्यक्रम) का नाम..........................पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमति.................................. का/की/पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2007 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित................. ..............विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है ।

स्थान.................... कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर

दिनांक.................. नाम एवं पद.............

(कार्यालयीन सील)

---

**प्रारूप – 8 छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र**

संदर्भ क्रमांक ............................ दिनांक........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री...................................................................................जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित परीक्षा का नाम.......................................वर्ष......... के आधार पर पाठ्यक्रम का नाम........................................पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है । श्री/सुश्री ................................................ का/की/संतान है, जो...............................योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान ..............................

दिनांक ............................ हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

## प्रारूप–9 : जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................ दिनांक.........................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/.................................................................के पुत्र/पुत्री श्री/ कुमारी................ ................................जो माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग. की (10+2) प्रणाली की परीक्षा में छत्तीसगढ़ का/की अभ्यर्थी हैं, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

श्री......................................................(पिता का नाम) एवं उनका परिवार वर्तमान में छत्तीगसढ़ के..................................... ................(शहर एवं जिले का नाम) में दिनांक.......................से निवास कर रहा है

हस्ताक्षर....................

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(कार्यालीन सील)

## प्रारूप 10 : अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक................ दिनांक....................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/............................................. आत्मज/आत्मजा/श्री........... .................................जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की (10+2) प्रणाली की परीक्षा (परीक्षा का नाम) वर्ष...............के आधार पर.......................(पाठ्यक्रम का नाम) में जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थी की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है ।

श्री..............................................(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमति.................................................................. प्रदेश/केन्द्रीय सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवारी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक.................से दिनांक...............तक (स्थान का नाम) में रही है ।

विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर
पद एवं विभाग का नाम

**प्रारूप–11**
(नियम 2.14.3)

**न्यायालय तहसीलदार ................................................ जिला ........................................... (छत्तीसगढ़)**

## / / आय प्रमाण–पत्र / /

**पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि**

1. श्री / श्रीमति / कु. ................................................................... पुत्र / पुत्री / पत्नी ..................................
.....................
का स्थायी निवासी ..................................................................................................................................
.....................
तहसील ........................................................ जिला ............................................ (छ.ग.) का है ।

2. श्री / श्रीमति / कु. ......................................................................................................................................
.....................
जाति ............................................................ का है और उसकी उपजाति ............................................
.....................
उसका धर्म ...................................................................... है ।

3. छात्र / छात्रा के पिता / माता / अभिभावक श्री ..........................................................................
.....................
आत्मज श्री ....................................................................................... का **31 मार्च 2011** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में छात्र / छात्रा की अगर आय हो तो सम्मिलित करते हुये । समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ............................ .................................................... शब्दों में ....................................................... ............ रूपये है ।

स्थान : ......................................................

दिनांक : ......................................................

**हस्ताक्षर**
**प्राधिकृत अधिकारी,**
**पदनाम एवं सील**

**नोट :**

1. पिता / माता / पति जीवित न रहने पर अभिभावक की आमदनी दर्शायी जाये ।
2. यह प्रमाण–पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है । अतः प्रमाण–पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी की सलाह दी जाती है कि यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण–पत्र जारी करें ।

**शासकीय पॉलीटेकनिक संस्थाओं के नाम, पते, फोन नंबर एवं ई-मेल एड्रेस**

| **प्राचार्य का नाम, संस्था का नाम एवं पता** | **फोन नंबर** | **फेक्स नंबर** | **ई मेल एड्रेस** |
|---|---|---|---|
| श्रीमती उषा जैन<br>प्राचार्य,<br>शासकीय पॉलिटेक्निक, जी.ई.रोड, **दुर्ग** | 0788-2323548,<br>2331628 | 0788-2323548 | polydurg@rediffmail.com |
| डॉ. एस.सी.बैरागी,<br>प्राचार्य,<br>शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक.<br>बायरन बाजार **रायपुर** | 0771-2423045 | 0771-2424778 | ggPraipur@yahoo.com |
| डॉ. आर.जी. गुप्ता<br>प्राचार्य,<br>शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक.<br>तहसील कार्यालय, **राजनांदगांव** | 07744-226830 | 07744-229564 | - |
| श्री एस.के. त्रिवेदी,<br>प्राचार्य,<br>शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक.<br>धरमपुरा-2, **जगदलपुर** | 07782-229230 | 07782-229364 | ggPoly@gmail.com.in |

//***//

| | | |
|---|---|---|
| **CHALLAN FOR NONPPT COUNSELLING** | **CHALLAN FOR NONPPT COUNSELLING** | **CHALLAN FOR NONPPT COUNSELLING** |
| **CANDIDATE COPY** | **DTE COPY** | **BANK COPY** |
| **Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur** | **Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur** | **Directorate of Technical Education, Chhattisgarh, Raipur** |
| SBI Power Jyoti A/c No **31077008863**<br>Date ……………………………………… | SBI Power Jyoti A/c No **31077008863**<br>Date ……………………………………… | SBI Power Jyoti A/c No **31077008863**<br>Date ……………………………………… |
| Registration ID/Ref. No. ---------------------<br>($10^{th}$ Roll No) | Registration ID/Ref. No. ---------------------<br>($10^{th}$ Roll No) | Registration ID/Ref. No. ---------------------<br>($10^{th}$ Roll No) |
| Name of Applicant ………………………. | Name of Applicant ………………………. | Name of Applicant ………………………. |
| Amount to be deposited as counselling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only) | Amount to be deposited as counselling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only) | Amount to be deposited as counselling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only) |
| Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately | Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately | Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately |
| Signature of Depositor ……………………. | Signature of Depositor ……………………. | Signature of Depositor ……………………. |
| SBI Branch Name ………………………… | SBI Branch Name ………………………… | SBI Branch Name ………………………… |
| Amount deposited ………………………… | Amount deposited ………………………… | Amount deposited ………………………… |
| Bank's Seal & Authorized Signature | Bank's Seal & Authorized Signature | Bak's Seal & Authorized Signature |
| 1. Instruction for Candidate : कृपया Registration ID/Ref. No. के सामने अपना 10वीं का Roll No. अंकित करें ।<br>2. Instruction for Bank : Kindly enter $10^{th}$ Roll No. against Registration ID/Ref. No. as given by candidate . | 1. Instruction for Candidate : कृपया Registration ID/Ref. No. के सामने अपना 10वीं का Roll No. अंकित करें ।<br>2. Instruction for Bank : Kindly enter $10^{th}$ Roll No. against Registration ID/Ref. No. as given by candidate | 1. Instruction for Candidate : कृपया Registration ID/Ref. No. के सामने अपना 10वीं का Roll No. अंकित करें ।<br>2. Instruction for Bank : Kindly enter $10^{th}$ Roll No. against Registration ID/Ref. No. as given by candidate |